

पत्र संख्या-कारा/भवन-32/10 (पार्ट-1)- 5798

बिहार सरकार  
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय  
गृह विभाग (कारा)।

प्रेषक,

राजीव वर्मा,  
संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्रशासन),  
कारा एवं सुधार सेवाएँ,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0),  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-21/09/2016

विषय:- राज्य योजना के अन्तर्गत मांग सं0 22 के अधीन मुख्य शीर्ष-4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-052-मशीनरी तथा उपस्कर, उप शीर्ष-0101-काराओं के संयंत्रों हेतु, विपत्र कोड-P4070000520101 राज्य योजना स्कीम कोड-HOM-5424, विषय शीर्ष-52 01-मशीनें एवं उपस्कर मद में गत वित्तीय वर्ष में बेल्ट्रॉन को उपलब्ध करायी गयी राशि में से अवशेष राशि के अन्तर्गत ₹3,03,243 (तीन लाख तीन हजार दो सौ तैंतालीस) रुपये मात्र की लागत पर मंडल कारा, जहानबाद (काको) एवं अरवल व्यवहार न्यायालय में अधिष्ठापित वी0सी0 प्रणाली के अधिष्ठापन हेतु 02 अदद रेडियो उपकरण का क्रय हेतु राशि की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य योजना के अन्तर्गत मांग सं0 22 के अधीन मुख्य शीर्ष-4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-052-मशीनरी तथा उपस्कर, उप शीर्ष-0101-काराओं के संयंत्रों हेतु, विपत्र कोड-P4070000520101 राज्य योजना स्कीम कोड-HOM-5424, विषय शीर्ष-52 01-मशीनें एवं उपस्कर मद में गत वित्तीय वर्ष में बेल्ट्रॉन को उपलब्ध करायी गयी राशि में से अवशेष राशि के अन्तर्गत ₹3,03,243 (तीन लाख तीन हजार दो सौ तैंतालीस) रुपये मात्र की लागत पर मंडल कारा, जहानबाद (काको) एवं अरवल व्यवहार न्यायालय में अधिष्ठापित वी0सी0 प्रणाली के अधिष्ठापन हेतु 02 अदद रेडियो उपकरण का क्रय हेतु राशि की प्रशासनिक स्वीकृति, वित्त विभाग के संकल्प सं0 96वि0(2) दिनांक-03.01.2008 की कंडिका 4(क) के आलोक में दी जाती है।

2. उपर्युक्त स्वीकृत कुल राशि ₹3,03,243 (तीन लाख तीन हजार दो सौ तैंतालीस) रुपये मात्र का व्यय राज्य योजना अन्तर्गत मांग सं0 22 के अधीन मुख्य शीर्ष-4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-052-मशीनरी तथा उपस्कर, उप शीर्ष-0101-काराओं के संयंत्रों हेतु, विपत्र कोड-P 4070000520101 स्कीम कोड-HOM. 5424, विषय शीर्ष-52 01. मशीनें एवं उपस्कर के अन्तर्गत गत वित्तीय वर्ष में उपलब्ध करायी गयी राशि में से अवशेष राशि के अधीन विकलनीय होगा।

3. स्वीकृत योजना के लिये आवंटन आदेश अलग से निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।


4. योजना की स्वीकृति के प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, गृह विभाग द्वारा संचिका सं0-कारा/भवन-32/10 (पार्ट-1) के टिप्पणी पृ0-78/टि0 पर दिनांक-14.09.2016 को अनुमोदन दिया गया है।

5. स्वीकृत्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0 कारा/भवन-32/10 (पार्ट-1) के टिप्पणी पृ0-79/टि0 पर दिनांक-20.09.2016 को दी गई है।


6. योजना के गुणवत्तापूर्ण एवं ससमय कार्यान्वयन/परिचालन का दायित्व प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन का होगा, जो निर्धारित समय में कार्य की पूर्णता सुनिश्चित कराकर आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेगें।

7. उक्त स्वीकृत्यादेश के आधार पर निकासी से पूर्व महालेखाकार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।


विश्वासभाजन

  
संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्रशासन)  
कारा एवं सुधार सेवाएँ,  
बिहार, पटना।


ज्ञापांक:- कारा/भवन-32/10 (पार्ट-1)- 5798 पटना, दिनांक-21-9-2016  
प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/  
अधीक्षक, मंडल कारा, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्रशासन)  
कारा एवं सुधार सेवाएँ,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- कारा/भवन-32/10 (पार्ट-1)- 5798 पटना, दिनांक-21-9-2016  
प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/ प्रबंध  
निदेशक, बेल्ट्रॉन एवं संयुक्त निदेशक, गृह (आरक्षी) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु  
प्रेषित।

  
संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्रशासन)  
कारा एवं सुधार सेवाएँ,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- कारा/भवन-32/10 (पार्ट-1)- 5798 पटना, दिनांक-21-9-2016  
प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्रशासन)  
कारा एवं सुधार सेवाएँ,  
बिहार, पटना।